# न्यायालय भूमि सुधार उप– समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

<u>अनुमति वाद संख्या 89 / 2022–23</u>

अनुसूची –14 फॉरम सं0– 563

| आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी |
|---|---|---|
| 13/12/23 | | |

आवेदक रघुनंदन भगत, पिता स्व0 लेबदु चीक बड़ाईक, जाति चीक बड़ाईक, ग्राम टेंगरिया खिजुर टोली पो0 टेंगरिया, थाना – पालकोट, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

**<u>भूमि का विवरणी</u>**

| राजस्व ग्राम | थाना सं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकबा | जमीन किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| पालकोट | 63 | 508 | 4092 | 0.10 एकड़ | |

**कुल 0.10 (दस) डिसमील**

**प्लॉट सं0 4092 का चौहदी :–** उत्तर में – पक्की सड़क, दक्षिण में – मेघनाथ प्रजापति, पुरब में – मनोज नायक, पश्चिम में – निमरोध एक्का।

**<u>जमीन विक्रेता का विवरणी</u>**

रघुनंदन भगत, पिता स्व0 लेबदु चीक बड़ाईक, जाति चीक बड़ाईक, ग्राम टेंगरिया खिजुर टोली पो0 टेंगरिया, थाना पालकोट, जिला–गुमला

**<u>जमीन क्रेता का विवरणी</u>**

(1) वंदना कुमारी (2) महिमा कुमारी दोनो के पिता बालकिशुन बड़ाईक, जाति बड़ाईक ग्राम बंगरू थाना पालकोट, जिला गुमला ।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता (1) वंदना कुमारी (2) महिमा कुमारी दोनो के पिता बालकिशुन बड़ाईक, जाति बड़ाईक ग्राम बंगरू, थाना – पालकोट जिला– गुमला से राशि 3,50,000 (तीन लाख पचास रूपैया) पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, पालकोट के कार्यालय के पत्रांक 710(ii)/रा0 दिनांक 07/12/2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास प्रर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति चीक बड़ाईक के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक रघुनंदन भगत, पिता स्व0 लेबदु चीक बड़ाईक, जाति चीक बड़ाईक, ग्राम टेंगरिया खिजुर टोली पो0 टेंगरिया थाना – पालकोट, जिला–गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 3,50,000 (तीन लाख पचास हजार रूपेया) अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा ......स्वीकृति...... प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

13/12/23      13/12/23

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.12.24 15:04:47 +05:30
Location: 192.168.1.3